"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 अप्रैल 2011—वैशाख 2, शक 1933

भाग 3 (1)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 7 फरवरी 2011

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2011/213.—इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2007/2148/बिलासपुर दिनांक 15-11-2007 के तहत् रेल्वे सुरक्षा बल गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर पं. क्र. 134 दिनांक 07-10-2002 को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्रीमती नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक, बिलासपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, निर्मल तिर्की, प्र. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 07-02-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 1 मार्च 2011

क्रमांक/परिसमापन/2011/324.— वसुन्धरा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर का पं. क्र. 55 दिनांक 30-5-1988 को परिसमापन में लाने हेतु छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यवाही बाबत् सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) एवं श्री आर. डी. धृतलहरे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं प्रभारी अधिकारी द्वारा संस्था पूर्णत: अकार्यशील होने एवं समस्त आवंटित प्लांटो की रजिस्ट्री करा दी जाने की जानकारी दी गई है तथा संस्था को परिसमापन में लाया जाकर वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है.

अत: संस्था के छ. ग सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं निर्मल तिर्की, प्र. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) वसुन्धरा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आर. डी. धृतलहरे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, बिलासपुर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

निर्मल तिर्की,
प्र. संयुक्त पंजीयक.

बिलासपुर, दिनांक 29 जनवरी 2011.

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2011/149.— इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2008/958/बिलासपुर दिनांक 08-05-2008 के तहत् आदर्श प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, चाटीडीह, बिलासपुर पं. क्र. 2739 दिनांक 14-03-1963 को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्रीमती शोभा बन्दे, सहकारी निरीक्षक, बिलासपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-01-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 29 जनवरी 2011

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2011/150.— इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2006/478/बिलासपुर दिनांक 13-03-2006 के तहत् उज्जवला मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, परसदा, पं. क्र. 3568 दिनांक 02-01-1995 को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्रीमती नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक, बिलासपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-01-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 29 जनवरी 2011

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2011/151.— इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2008/1020/बिलासपुर दिनांक 15-05-2008 के तहत् आपांचल पशु एवं कुक्कुट पालन सहकारी समिति मर्यादित, चांटीडीह, बिलासपुर पं. क्र. 3913 दिनांक 21-09-1998 को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्रीमती नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक, बिलासपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-01-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 29 जनवरी 2011

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2011/152.— इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2007/817/बिलासपुर दिनांक 04-07-2007 के तहत् आदिवासी मजदूर कल्याण श्रम ठेका सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर पं. क्र. 3720 दिनांक 20-03-1996 को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्रीमती नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक, बिलासपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाड़ी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-01-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 28 फरवरी 2011

क्रमांक/परि./2011/319. — प्रज्ञा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, विनोबा नगर, वार्ड क्र.-14 पंजीयन क्रमांक 3664, दिनांक 22-04-1995 को श्रीमती नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. जिसमें समिति के सदस्यों की बैठक 17-01-2011 को की गई है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जा कर सोसायटी अधिनियम/नियम एवं पंजीकृत उपविधि तथा समय-समय पर शासन द्वारा बनाये गये नियमों के तहत् कार्य करेगी. तत्संबंध में स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है. 01 से 03 बिन्दुओं में कार्य योजना प्रस्तुत किया गया है. संस्था के सभी सदस्य आर्थिक रूप से कमजोर हैं. अतः सदस्यों के हित में परिसमापक के प्रतिवेदन से मैं सहमत हूं.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह (सी.) दिनांक 26-07-1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (4) के तहत् प्रज्ञा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, विनोबा नगर, वार्ड क्र.-14, पंजीयन क्रमांक 3664, दिनांक 22-04-1995 विकासखण्ड-बिल्हा, जिला-बिलासपुर, को पुनर्जीवित करता हूं एवं आगामी 06 माह तक संस्था के कार्य संचालन हेतु तात्कालिक संचालक मण्डल को अधिकृत करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 4 मार्च 2011

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2011/339.— इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2008/1821/बिलासपुर दिनांक 16-09-2008 के तहत् दी बिलासपुर ग्रोवर्स एसोशियन को-ऑप. सोसायटी लिमिटेड मर्यादित, बिलासपुर (छ. ग.) पं. क्र. 565 बिलासपुर, दिनांक .... को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री एल. एल. ध्रुव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, बिलासपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/ सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 04-03-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

एन. कुजूर,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.)

कोरबा, दिनांक 3 फरवरी 2011

क्रमांक/उपंको/परि./2011/72.—केंवट मछुआ सहकारी समिति मर्या., पोंड़ी वि. ख. पाली पंजी. क्र. 3676 दिनांक 19-7-1995 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./612/दिनांक 17-09-2010 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. पाली को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा केंवट मछुआ सहकारी समिति मर्या., पोंड़ी की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए केंवट मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, पोंड़ी, विकासखंड पाली, पंजीयन क्रमांक 3676 दिनांक 17-09-95 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 03-02-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 14 फरवरी 2011

क्रमांक/उपंको/परि./2011/94.—परिवहन कामगार एवं कारीगर सहकारी समिति मर्या., बांगो वि. ख. पोंड़ी -उपरोड़ा पंजी. क्र. 3849 दिनांक 10-03-1997 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./334/दिनांक 04-06-2008 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. पोंड़ी-उपरोड़ा को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा परि. कामगार एवं कारीगर सहकारी समिति मर्या., बांगो की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए परिवहन कामगार एवं कारीगर सहकारी समिति मर्यादित, बांगो विकासखंड पोंड़ी-उपरोड़ा पंजीयन क्रमांक 3849 दिनांक 10-03-1997 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 14-02-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 14 फरवरी 2011

क्रमांक/उपंको/परि./2011/95.—समिति ईंट खपरा निर्माण सहकारी समिति मर्या., बिंझरा वि. ख. पोंड़ी -उपरोड़ा पंजी. क्र. 3505 दिनांक 06-09-1994 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./848/दिनांक 31-10-2009 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. पोंड़ी-उपरोड़ा को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा ईंट खपरा निर्माण सहकारी समिति मर्या., बिंझरा की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए ईंट खपरा निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बिंझरा, विकासखंड पोंड़ी-उपरोड़ा पंजीयन क्रमांक 3505 दिनांक 06-09-94 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 14-02-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 14 फरवरी 2011

क्रमांक/उपंको/परि./2011/96.—पत्थर गिट्टी एवं कारीगर सहकारी समिति मर्या., बांझीवन वि. ख. पोंड़ी -उपरोड़ा पंजी. क्र. 3803 दिनांक 03-10-96 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./846/दिनांक 31-10-2009 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. पोंड़ी-उपरोड़ा को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा पत्थर गिट्टी एवं कारीगर सहकारी समिति मर्या., पोंड़ी -उपरोड़ा की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए पत्थर गिट्टी एवं कारीगर सहकारी समिति मर्यादित, बांझीवन, विकासखंड पोंड़ी-उपरोड़ा, पंजीयन क्रमांक 3803 दिनांक 03-10-96 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 14-02-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 14 फरवरी 2011

क्रमांक/उपंको/परि./2011/97.— गिट्टी बोल्डर सहकारी समिति मर्या., बिंझरा वि. ख. पोंड़ी -उपरोड़ा पंजी. क्र. 3478 दिनांक 30-04-92 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./847/दिनांक 31-10-2009 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. पोंड़ी-उपरोड़ा को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा गिट्टी बोल्डर सहकारी समिति मर्या., बिंझरा की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए गिट्टी बोल्डर सहकारी समिति मर्यादित, बिंझरा, विकासखंड पोंड़ी-उपरोड़ा, पंजीयन क्रमांक 3478 दिनांक 30-04-92 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 14-02-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 14 फरवरी 2011

क्रमांक/उपंको/परि./2011/98.— खनिज सहकारी समिति मर्या., रामपुर वि. ख. पोंड़ी -उपरोड़ा पंजी. क्र. 3804 दिनांक 03-10-1996 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./266/दिनांक 02-05-2008 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. पोंड़ी-उपरोड़ा को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा खनिज सहकारी समिति मर्या., रामपुर की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए खनिज सहकारी समिति मर्यादित, रामपुर, विकासखंड पोंड़ी-उपरोड़ा, पंजीयन क्रमांक 3804 दिनांक 03-10-96 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 14-02-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 14 फरवरी 2011

क्रमांक/उपंको/परि./2011/99.— कामगार एवं खनिज सहकारी समिति मर्या., गुड़रूमुड़ा वि. ख. पोंड़ी -उपरोड़ा पंजी. क्र. 3851 दिनांक 10-03-1997 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./333/दिनांक 04-06-2008 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. पोंड़ी-उपरोड़ा को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा कामगार एवं खनिज सहकारी समिति मर्या., गुड़रूमुड़ा की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए कामगार एवं खनिज सहकारी समिति मर्यादित, गुड़रूमुड़ा, विकासखंड पोंड़ी-उपरोड़ा पंजीयन क्रमांक 3851 दिनांक 10-03-97 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 14-02-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

दिलीप जायसवाल,
उप पंजीयक.

मुद्रक. मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2011.